ल सिंह, पता: सर्वे
मोरे, जिला–रांची

लोकसुनवाई का वृत।

मेसर्स बी.डी. इंटरप्राइजेज, प्रो0– श्री उमा शंकर सिंह, पिता– श्री ललन सिंह, पता–सर्वेश्वरी भवन, सदानाथ महादेव मंदिर के पास, पोस्ट–गुटवा, थाना–नगरी , कथल मोरे, जिला–रांची द्वारा सोन–06 बालू घाट, मौजा–सबदला, प्रखंड–नासरीगंज, जिला–रोहतास के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533,दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 17.06.2023 को अपराहृन 03:00 बजे अंचल कार्यालय नासरीगंज, जिला–रोहतास में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2276/2023, dated 03.02.2023 के आलोक में श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, अपर समहर्त्ता–सह– अपर जिला दण्डाधिकारी, रोहतास, सासाराम (जिला पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 17.06.2023 को अपराहृन 03:00 बजे अंचल कार्यालय नासरीगंज, जिला–रोहतास में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा प्रभात खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्,पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्‌देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव / विचार / मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि रंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवर लोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क करले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (460 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतति करण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री पंकज कुमार, ग्राम–सबदला, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू से लदे वाहन से मुख्य सड़क पर बालू गिरते हैं, और गर्मी के दिन में बहुत अधिक धूल उड़ते हैं। प्रोपराईटर द्वारा इस विषय में क्या कहना है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह परियोजना प्रस्तावित है। परियोजना शुरू होने पर बालू से लदे वाहन को तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। जल छिड़काव हेतु दो टैंकर का उपयोग किया जायेगा।
2.	श्री प्रमोद कुमार सिंह, ग्राम–सबदला, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि सड़क पर धूल–कण बहुत ज्यादा उड़ते हैं, जो आँख, मुँह, नाक में चला जाता है। घाट मालिक द्वारा सही तरीके से समस्या का निदान नहीं किया जाता है। इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू लदे वाहन को तिरपाल से ढ़का गया है या नहीं, इसकी जाँच कर ली जाय। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु बताये गये उपायों में अगर थोड़ी सी भी कमी आती है, तो आप तुरंत अचंलाधिकारी से शिकायत करें। जिला प्रशासन से भी शिकायत करें। हमलोग को जो शक्ति प्रदत्त है, उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

Management
Sand Mining-

अंचलाधिकारी, नासरीगंज द्वारा बताया गया कि बालू खनन का कार्य पाँच साल के लिए उद्योग के स्तर पर किया जायेगा। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी घाटों पर धर्मकाँटा लगाया जाय। मुख्य समस्या धूल–कण का उड़ना, ट्रैफिक जाम एवं जल–स्तर नीचे जाने का है, इसके उपाय किये जाने चाहिए। पेड़ लगाया जाना चाहिए। बालू खनन कार्य भू–जल स्तर ऊपर तक ही किया जाय। पानी के अंदर खनन नहीं किया जाय। इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि सिमेंट की तरह बालू को भी 40 से 50 किलोग्राम के बैग में भरकर उद्योग का रूप दिया जा सकता है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों का तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा। सोन नदी भी रोहतास जिला के आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह राज्य के लिए अक्षय निधि है, तथा निर्माण कार्य हेतु महत्वपूर्ण इकाई है।

5–6 फीट बड़ा पेड़ लगाया जाय, ताकि 5 साल में बड़ा हो जाय। छायादार एवं फलदार पेड़ बरगद, पीपल, आम–जामुन, नीम का पेड़ लगाये जायें। उन्होंने कम–से–कम 2000 पेड़ लगाने का सुझाव दिये, जिसमें कम–से–कम 1000 आम का पेड़ लगाने का सुझाव दिए। पौधो का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा भी किये जाने का सुझाव दिया गया। इच्छुक व्यक्ति को मुफ्त में पेड़ उपलब्ध कराया जायेगा।

उनके द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, जिसमें जनहित में विकासात्मक कार्य होता है। अतः जनता को इस कार्य में अपेक्षित सहयोग करना चाहिए। स्थानीय लोगों ने खनन कार्य में सहयोग करने का भरोसा दिलाया। संवेदक का प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को अपनाकर प्रदूषण को कम–से–कम करने हेतु सुझाव दिया गया। संवेदक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपायों का अनुपालन नहीं करने के स्थिति में ग्रामीण जनता अंचलाधिकारी, नासरीगंज को भी शिकायत कर सकती हैं। उनके द्वारा भी नियमानुकूल यथाचित कार्रवाई की जायेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

14/7/23
अपर समहर्त्ता–सह–
अपर जिला दण्डाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

र्स बी.डी. इंटरप्राइजेज, प्रो०-श्री उमा शंकर सिंह, पिता-श्री ललन सिंह द्वारा रोहतास ोन -06 बालू घाट, मौजा-सबदला, अंचल-नासरीगंज, जिला-रोहतास में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान- अंचल कार्यालय नासरीगंज, दिनांक: 17.06.2023 समय-03:00 P.M.

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	चन्द्रशेखर प्र० सिंह	AC cum ADM, Rohtas	[illegible] 17/6/23
2.	आशीष कुमार राय	[illegible] पटना	[illegible] 17-6-23
3.	Kertin Kumar	D. M. O Rohtas	[illegible] 17/6
4.	Amit Kumar	CO. Nasrigunj	[illegible] 17/06/23
5.	Vikash Mishra	Sr Manager Rian Enviro Pvt Ltd	[illegible] 17/6/23
6.	Md. [illegible]	नासरीगंज	Md [illegible] 17/6/23
7.	मनोज कुमार सिंह	ग्रा० अमियावर महदेवा रोहतास बिहार	मनोज कुमार सिंह
8.	अनुप कुमार	ग्रा० पो० अमियावर सबदला	अनुप कुमार
9.	राजू कुमार	ग्राम+पो०- [illegible]	राजू कुमार
10.	P. K Singh	[illegible]	P. K Singh
11.	जितेन्द्र पाण्डेय	ग्राम [illegible]	जितेन्द्र
12.	सुशील कुमार सिंह	ग्रा० अमियावर पो० महदेवा रोहतास	सुशील कुमार
13.	गोलू कुमार	ग्राम पो० अमियावर सबदला	गोलू कुमार
14.	शम्भु कुमार	ग्राम पो० अमियावर सबदला	शम्भु कुमार
15.	रोहित कुमार	ग्राम+पो०-अमियावर (सबदला)	रोहित कुमार
16.	नितेश कुमार	ग्राम+पो०-अमियावर (सबदला)	नितेश कुमार
17.	[illegible]	village Mauna	[illegible]
18.	Bholu Khan	village. Mauna	[illegible]

19.	Sher Alam	vill: Mauna	Sher A
20.	Nazim Hussain	vill: Mauna	Nazim Huss
21.	Saddam	NASRIGANJ	[illegible]
22.	Chhotu	Mauna	Chunda
23.	JUNAID KHAN	MAUNA	Juna [illegible]
24.	Hasrat hussain	Mauna	[illegible]
25.	Md. hussain	Mauna	[illegible]
26.	Shahbaj alam	Mauna	Shahbaj alam
27.	Abdul sattar	mauna	Abdul sattar
28.	Sukesh Kumar	Nasriganj	Sukesh Kumar
29.	Himanshu Kumar	Nasriganj	Himanshu kumar
30.	Ayush Kumar	Nasriganj	Ayush Kumar
31.	Sandeep Kumar	Nasriganj	Sandeep Kumar
32.	Shubham kumar	Nasriganj	Shubham kumar
33.	Amarjeet kumar	Nasriganj	Amarjeet kumar
34.	Satya yadav	~~01~~ nasriganj	~~Sat~~ Satya
35.	Md Shahid Zam	Nasriganj	[illegible]
36.	md chand	Karhw	md. chand
37.	Danish Khan	Nasriganj	[illegible]
38.	Shahnawaz khan	Nasriganj	[illegible]
39.	Wasim Raja	Nasriganj	[illegible]
40.	Salim Khan	Nasriganj	[illegible]

41.	Tasliny	Shabadala	[illegible]
42.	Pramod	Giomsh	Seabadala
43.	Manoj Singh	Sabadla	Manoj Sg
44.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45.	Jai Prakash [illegible]	[illegible]	Jai Prakash [illegible]
46.	Shashank Kr Singh	Itawa	Shashank
47.	[illegible]	Atouni	[illegible]
48.	Oyam prakash	Panderi	Oyamprakash
49.	Sanjeet Kumar	" "	[illegible]
50.	Pahul Kumar	Sabadla	
51.	Ravi singh	Narayanpur Sabdla	[illegible]
52.	Ravi Ranjan	Env Consultant Rian Enviro.	Ravi 17.06.23.
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			